राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 3519 / 2006 / बारां

1. शफिया बैवा अब्दुल गफ्फार (नाम तर्क)
2. अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी बारां हाल निवासी भीतरियाकुण्ड कोटा
3. अब्दुल रहीम उर्फ अत्तू पुत्र अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी बारां हाल निवासी लाडपुरा कोटा
4. जुम्मा पुत्र अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां
5. अब्दुल कदीर पुत्र अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां
6. शकीला पुत्री अब्दुल गफ्फार पत्नी मोहम्मद इस्हाक जाति मुसलमान निवासी केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां
7. अकीला पुत्री अब्दुल गफ्फार पत्नी सलाम जाति मुसलमान निवासी बारां हाल निवासी श्रीपुरा कोटा
8. नवाब खां पुत्र बशीर खां मृतक जरिये वारिसान–
   - 8 / 1. शाब्बीर पुत्र नवाब खां
   - 8 / 2. शब्बीर पुत्र नवाब खां
   - 8 / 3. शहजाद पुत्र नवाब खां
   - 8 / 4. ताहिर पुत्र नवाब खां
   - 8 / 5. नसीम पुत्री नवाब खां
   - 8 / 6. समीम पुत्री नवाब खां
   - 8 / 7. रजीया पुत्री नवाब खां
   - 8 / 8. रूखसाना पुत्री नवाब खां
   - 8 / 9. सन्जीदा पुत्री नवाब खां
   - 8 / 10. परवीन पुत्री नवाब खां

   समस्त जाति पठान निवासी श्रमिक कॉलोनी पवन मेटल के पास मांगरोल रोड बारां तहसील व जिला बारां

....अपीलांट्स

बनाम

मदरसा अंजुमन इस्लामियां बारां उर्फ अजुमन इस्लामिया जरिये सदर मदरसा अजुमन तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

डॉ0श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित–
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 15.06.2022

निर्णय

यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील संख्या 248/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2006 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का बहस में कथन है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट्स के विरूद्ध एक वाद धारा 88, 89, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आराजी खसरा नंबर 738 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 939 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा बाबत पेश किया। उप जिला कलक्टर बारां ने अपने निर्णय दिनांक 16–5–2005 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2006 द्वारा खारिज कर दी गई। उनका तर्क है कि वादग्रस्त आराजी की रेकार्डेड खातेदार हज्जानी मुमताज थी, जिसने दिनांक 20–9–77 को वादग्रस्त आराजी की पंजीबद्ध वसीयत गफ्फार व नवाब के हक में की जो एग्जीबिट डी–1 है, जिस पर गौर न कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित किये हैं। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा हज्जानी के जीवनकाल से चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट ने अवधि बाहर दावा पेश किया है। रेस्पोडेन्ट ने वाद में धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया एवं न ही राज्य सरकार को पक्षकार बनाया। तनकी संख्या 1 से 4 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपना वाद साबित नहीं करने के बावजूद विचारण न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। तनकी संख्या 5 से 10 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था एवं प्रतिवादी ने अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अपना पक्ष साबित कर दिया था इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त बिन्दुओं पर कोई गौर न कर निर्णय व डिक्री

पारित करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें तथा रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदार मुमताज ने दिनांक 29–12–66 को विवादित भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड डीड हिब्बा की थी तथा कब्जा संभला दिया था। तभी से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। लेकिन दौराने भू प्रबन्ध सहवन से अधिकार अभिलेख में वादी/रेस्पोडेन्ट को अंजुमन मदरसा मुसलमान सा0बारां अंकित कर दिया गया, जो कि लिपिकीय त्रुटि है। प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने से वादी ने विवादित भूमि का कब्जा दिलाने एवं उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु वाद पेश किया था। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम की एवं उन पर पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज करने एवं उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद डिक्री किया था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत से सहमत होते हुए अपीलांट्स की अपील को खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम की। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था। प्रदर्श पी–1 के अनुसार विवादित भूमि अन्जुमन मदरसा मुसलमान सा0बारा दर्ज होने से विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को वादी के पक्ष में निर्णित किया है। तनकी संख्या 2 के विवेचन में विचारण न्यायालय ने प्रदर्श ए–2 के अनुसार विवादित आराजी दिनांक 29–12–66 को जरिर्ये रजिस्टर्ड डीड वादी के पक्ष में हिब्बा कर कब्जा वादी को संभलाये की पुष्टि होना मानते हुए तनकी संख्या 2 को वादी के पक्ष में निर्णित किया है। तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 के

निर्णय के आधार पर वादी को पर्चा सेटलमेन्ट प्रदर्श–3 में की गई त्रुटि अंजुमन मदरसा मुसलमान बारां के स्थान पर मदरसा अंजुमन इस्लामिया बारां दुरूस्त कराकर रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी मानते हुए उक्त तनकी को भी वादी के पक्ष में निर्णित किया है। तनकी संख्या 4, जिसे साबित करने का भार भी वादी पर था, के विवेचन में विचारण न्यायालय ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया की आराजी पर प्रतिवादी को बतौर अतिक्रमण कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं साक्ष्यों से वादी के कथन की पुष्टि होना साबित मानते हुए तनकी संख्या 4 को वादी के पक्ष में निर्णित किया है। तनकी संख्या 5 से 10 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। राज्य सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं देने तथा उसे दावे में पक्षकार नहीं बनाने के संबंध में तनकी संख्या 5 कायम की गई। विचारण न्यायालय ने इस तनकी पर अपने विवेचन में राज्य सरकार को दावे में पक्षकार नहीं बनाने एवं धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं देने से प्रतिवादी को इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना मानते हुए इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया है। शेष अन्य तनकियात भी प्रतिवादी द्वारा साबित नहीं किये जाने से तनकी संख्या 6 से 10 को प्रतिवादी/ अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया है।

7. प्रतिवादी/अपीलांट ने विवादित भूमि के संबंध में उनके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत किये जाने का कथन किया है किन्तु उसकी पुष्टि में प्रतिवादी/अपीलांट ने कोई रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत नहीं की एवं न ही किसी अन्य दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने कथन को प्रमाणित कराया है। इसके विपरीत प्रदर्श ए–2 रजिस्टर्ड डीड से विवादित भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हिब्बा कर कब्जा संभलाये जाने की पुष्टि होती है। वादी/रेस्पोडेन्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपने वाद को बखूबी साबित किया है। दूसरी ओर प्रतिवादी/अपीलांट विवादित भूमि पर अपने स्वत्व व अधिकार को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार वादी का वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत से सहमत होते हुए समवर्ती निष्कर्ष अंकित किये हैं, जो समीचीन है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें ऐसी कोई त्रुटि

नहीं पाते, जिससे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–2–2006 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–5–2005 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य